संख्या-929/2018/1032/22-2-2017-17(215)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री जगदत्त निवासी जनपद-अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0 **(**दिनांक 15.05.2018**)** दिनांक 14-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामनरेश पुत्र श्री जगदत्त, जो निवासी- हुसैनपुर, थाना-शुकुल बाजार, जनपद- अमेठी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पंचायत के दौरान अकस्मात वाद-विवाद बढ़ जाने के कारण दिनांक 07.04.1978 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घर में आग लगाकर 01 महिला व 01 व्यक्ति की हत्या कारित की । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-18/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302**,**436**,** 147**,** 336 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 22.07.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.02.2018 तक 03 वर्ष 05 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 03 माह 30 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है है। समिति द्वारा बंदी की काटी गयी सजा**,** कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रामनरेश (बन्दी संख्या-305/14) पुत्र श्री जगदत्त निवासी जनपद-अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-929/2018/1032(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in